# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 25 / 2023 / बाड़मेर

| अपीलांटस | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| मोटाराम पुत्र जोगाराम जाति मेगवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर | 1. हुआदेवी पत्नी रामाराम<br>2. समदादेवी पत्नी लालाराम<br>3. हरियोंदेवी पत्नी नरसींगाराम<br>4. शांतिदेवी पत्नी ईशराराम<br>5. सोनाराम पुत्र अमराराम<br>6. सवाराम पुत्र कमाराम का.मु.<br>6 / 1पुरखाराम पुत्र सवाराम<br>6 / 2दुर्गाराम पुत्र सवाराम<br>7. केलीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति गुरूड़ा निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>8. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी<br>9. शाखा प्रबन्धक एस डी एफ सी जयपुर<br>10. राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी |

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2023 / बाड़मेर

| अपीलांटस | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| मोटाराम पुत्र जोगाराम जाति मेगवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर | 1. हुआदेवी पत्नी रामाराम<br>2. समदादेवी पत्नी लालाराम<br>3. हरियोंदेवी पत्नी नरसींगाराम<br>4. शांतिदेवी पत्नी ईशराराम<br>5. सोनाराम पुत्र अमराराम<br>6. सवाराम पुत्र कमाराम का.मु. |

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

| | |
|---|---|
| | 6/1पुरखाराम पुत्र सवाराम<br>6/2दुर्गाराम पुत्र सवाराम<br>7. केलीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति गुरूड़ा निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>8. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी<br>9. शाखा प्रबन्धक एस डी एफ सी जयपुर<br>10. राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति तहसीलदार गुड़ामालानी |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2019 बअनवान हुआदेवी बनाम मोटाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2022 व 06.12.2022 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री मांगीलाल प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः– 24.12.2024**

हस्तगत दोनों ही अपीले एक ही आराजी एवं समान खातेदारों के मध्य विवाद के बिंदुओं को लेकर है इसलिए निर्णय दानों ही अपीलों का साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक पृथक अपील पर रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 के अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से 08 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बोरली तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 856 रकबा 119.18 बीघा में आया हुआ है। जिसमें वादीनी अपने 45/112 हिस्सा की खातेदारी घोषित कर बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के नाम से सम्मन जारी किये गये परन्तु अपीलांटगण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का सम्मन तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा शेष उतरदाता/वादीगण के प्रभाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव के संलग्न नक्शे पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता करवा कर नकल हेतु आवेदन दिनांक 24.01.2023 को किया गया उसी दिन नकल प्राप्त हो गई। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अन्दर म्याद आज ही पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांटस की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी में दर्ज हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की घोषणा की गई है। इसलिए प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पेश अपील को खारिज किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबाव दावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आदेशिका दिनांक 29.08.2022 के अनुसार तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। न्यायिक दृष्टान्त 2019 आर बी जे पेज 123 में यह प्रतिपादित किया है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 धारा 53 व राजस्थान टीनेन्सी(राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 21 तहसीलदार स्वयं भूमि के विभाजन के प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर व सील के द्वारा तैयार करेगा। अदालत पटवारी/नायब तहसीलदार /लैण्ड रिकॉर्ड निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं कर सकते है। अर्थात बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही दोनों पक्षों को नोटिस देकर तैयार कर भेजना है, जो कि इस प्रकरण में नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2022 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए था जबकि हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर किये हुए है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को सूचना/नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तामिल करवाये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2019 बअनवान हुआदेवी बनाम मोटाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए वाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर